न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/135

ग्यारसी लाल आयु 70 वर्ष आत्मज गंगाराम जाति बैरवा निवासी त्रिशूल्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री शम्भूदयाल शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 21.12.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.07.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट तहसीलदार, हिण्डोली ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17 (ए) राजस्थान उपनिवेशन (लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भूमि का आवंटन नियम) 1968 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी ग्यारसी लाल आत्मज गंगाराम जाति बैरवा को ग्राम बाल तहसील हिण्डोली की आराजी खसरा नम्बर 320 रकबा 11 बीघा 03 बिस्वा भूमि का वर्ष 1957 में आवंटन किया गया था । उक्त भूमि आवंटन के बाद से पडत है, आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं है । आवंटित भूमि की किश्त मय ब्याज जमा नहीं की है । आवंटन शर्तों का उल्लंघन हुआ है । अतः आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12.07.2017 के द्वारा प्रार्थी तहसीलदार, हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थी ग्यारसी लाल आत्मज गंगाराम के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश निरस्त कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.07.2017 से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मूल आवंटन पत्रावली तलब किये बिना ही, आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति पेश करवाये बिना ही आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिक प्रकिया के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की साक्ष्य लिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय से आवंटन निरस्त कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.07.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 17.01.2018 को हुई जब पटवारी हल्का भूमि पर आये और उनके द्वारा फसल काट लेने को कहा और उक्त भूमि का कब्जा राज सरकार के लेने के लिए कहा । जिस पर उक्त निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की जो शामिल मिसल की गई । अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी मौखिक एवं लिखित बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने किस तारीख के आवंटन को व किस आवंटी के आवंटन को खारिज किया है अपने आदेश में अंकित नहीं किया है । आवंटन ग्यारसीलाल के नाम नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन पत्रावली को तलब किये बिना व आवंटन आदेश की प्रमाणित /फोटो प्रति का अवलोकन किये बिना ही आवंटन को निरस्त कर दिया । आवंटी गंगाराम आत्मज मोती बैरवा ग्राल बाल हैं जिनको मिसल संख्या 495 दिनांक 18.06.1957 को लीजदारी दर्ज की गई थी । अधीनस्थ न्यायालय ने इतनी लम्बी अवधि के बाद बिना किसी आधार के आवंटन निरस्त करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट मौके पर काबिज काश्त है । अपीलान्ट का मौके पर कब्जा होने से ही तहसीलदार की रिपोर्ट (कब्जे बाबत्) पेश होने पर ही बैंक ने ऋण दिया है, भूमि बैंक के रहन है । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में लोक अदालत में निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.07.2017 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में आरआरटी 2003 (1) पेज 501, आरआरटी 2016 (1) पेज 756, 2017 (2) आरआरटी पेज 972, 2003 (1) आरआरटी पेज 295, 2016 (2) डीएनजे (राज0) पेज 732, आरआरडी 1986 पेज 369 उद्धरत की ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर आवंटी का कब्जा नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से लोक अदालत में निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.07.2017 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी अपीलान्ट की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में अप्रार्थी अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए और इसी दिन निर्णय पारित किया गया है । पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी ग्यारसी लाल पिसरान गंगाराम के गैर खातेदारी में दर्ज है । नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2070 से 2073 संलग्न है जिसके अनुसार संवत् 2070 में वादग्रस्त आराजी पर फसल किया जाना अंकित है ।

11. अपीलान्ट ने अपील में भी कुछ दस्तावेजात पेश किये हैं जिसमें नकल जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 संलग्न है जिसके अुनसार वादग्रस्त आराजी ग्यारसीलाल पुत्र गंगाराम के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है । नामान्तरकरण की प्रति भी पेश की है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी में दिनांक 11.05.1993 को मु0 राधा के इंतकाल के बाद मु0 राधा के स्थान पर ग्यारसीलाल का नाम दर्ज किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आवंटन आदेश की प्रति संलग्न नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2070 से 2073 के अनुसार उक्त आराजी पर फसल होना अंकित किया गया है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर आवंटन खारिज किया गया है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि ग्यारसीलाल पिसरान गंगाराम का कब्जा काश्त नहीं पाया गया है मौके पर प्रहलाद पुत्र रामदेव का कब्जा है । आवंटन निरस्त किये जाने से पूर्व यह देखा जाना आवश्यक है कि आवंटी के द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार आवंटन की शर्तो की पालना की गई है अथवा नहीं । पटवारी हल्का की रिपोर्ट से यह स्पष्ट नहीं है कि मौके पर प्रहलाद आत्मज रामदेव का कब्जा किस तिथि से है । आवंटन सम्बन्धी पत्रावली अथवा आवंटन आदेश भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न नहीं है, जिसका अवलोकन किया जाना भी निर्णय पारित किये जाने से पूर्व आवश्यक है।

13. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि लोक अदालत में अपीलान्ट अप्रार्थी की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । हम इस प्रकारण में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.07.2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए समस्त रिकॉर्ड का अवलोकन करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 25.02.2019 को उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 21.12.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21.12.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा